



बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी

पत्रांक :- बु0वि0/सम्ब0/2014/ 159-160

दिनांक :- 20/11/2014

सेवा में,

प्रबंधक

पं० वासुदेव तिवारी कन्या महाविद्यालय,
झाँसी।

विषय :- प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपयुक्त विषयक आपके पत्र दिनांक: 15/01/2014 के सन्दर्भ में सूचित करना है कि शासनादेश संख्या:- 2443/सत्तर-2-2000-2(89)/97 दिनांक 9 मई 2000 एवं चयन समिति की संस्तुति के आधार पर कुलपति जी ने निम्नलिखित विवरणानुसार प्रवक्ताओं को इस प्रतिबंध के साथ अनुमोदन प्रदान करने की कृपा की है कि सभी अनुमोदित प्रवक्ताओं को वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा।

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	पद	जन्मतिथि	शैक्षिक विवरण	वर्ग
1	अंशु पाण्डेय पुत्री श्री वीरेन्द्र कुमार दुबे	प्रवक्ता वाणिज्य	12/04/1987	M.Phil.-2010	सामान्य
2	प्रदीप बुंदेला पुत्र श्री मंगल सिंह बुंदेला	प्रवक्ता वाणिज्य	21/04/1989	M.Phil.-1995	सामान्य

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रवक्ताओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित कारण के फलस्वरूप अनुमोदन प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है:

क्र०	अभ्यर्थी का नाम	पद/विषय	अनुमोदन न होने का कारण
1	प्रियंका खरे पुत्री श्री गुलाब चंद्र खरे	प्रवक्ता वाणिज्य	पी0एच0डी0 का प्रमाण नहीं लगाया है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी सूचित है यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी के अभिलेखों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पायी गयी तो इसका समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रबंध समिति का होगा।

आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि अनुमोदित प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र की प्रति, अनुबंध पत्र की प्रति एवं कार्यभार ग्रहण आख्या यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी का उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(पारस नथ प्रसाद)
उपकुलसचिव

प्रतिलिपि :- श्री विवेक कुमार पाठकर डी0ई0ओ0 उपकुलसचिव कार्यालय को
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपकुलसचिव